


अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास के पत्रांक-746 दिनांक-13.08.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि संवेदक श्री देव कुमार मंगरदैता, ग्राम+पो0-कालापट्टी, फुलपरास जिला-मधुबनी (निबंधन संख्या-2150711/2015) को पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत टी01 सिसवार से बैरकोना पथ (पैकेज संख्या:- BR-21R-262) का निर्माण कार्य आवंटित किया गया था। संवेदक द्वारा एकरारित अवधि के अधीन विषयगत पथ का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास द्वारा संवेदक को बार-बार स्मारित कराने के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण कराने में कोई अभिरूची नहीं ली गई। अंततः एकरारनामा के शर्तों के तहत कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-863 दिनांक-08.08.2017 द्वारा विषयगत कार्य के एकरारनामा सं0-01SBD/2013-14 दिनांक-25.04.2013 को विखंडित कर दिया गया।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा संवेदक को काली सूची में डालने की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी गई। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3136 दिनांक 02.09.2020 द्वारा संवेदक से इस संबंध में सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया, इससे स्पष्ट होता है कि इस संबंध में संवेदक को कुछ नहीं कहना है। विभागीय समीक्षोपरांत संवेदक को कालीसूची में डालने का निर्णय लिया जाता है।

अतएव क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक श्री देव कुमार मंगरदैता, ग्राम+पो0-कालापट्टी, फुलपरास जिला-मधुबनी (निबंधन संख्या-2150711/2015) को बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक-19.12.2007 के कंडिका-11 (क) उप कंडिका-VI में निहित प्रावधानों एवं बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-154 दिनांक-18.06.2015 के कंडिका-8 के उप कंडिका-1 (a) (कार्य एकरारनामा को Rescind किये जाने पर) निहित प्रावधानों के आलोक में 10 (दस) वर्षों के लिए विभागीय काली सूची में डाला जाता है।



(प्रवीण कुमार ठाकुर)

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-17/9/20

ज्ञापांक:— मु0अ0-04(मु0) काली सूची-34-54/2020 - 3417

प्रतिलिपि :- संवेदक श्री देव कुमार मंगरदैता, ग्राम+पो0-कालापट्टी, फुलपरास जिला-मधुबनी (निबंधन संख्या-2150711/2015) को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक-17/9/2020

ज्ञापांक:— मु0अ0-04(मु0) काली सूची-34-54/2020 3417

प्रतिलिपि :- सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:— मु0अ0-04(मु0) काली सूची-34-54/2020 - 3417

/पटना, दिनांक-17/4/2022

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।




अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:— मु0अ0-04(मु0) काली सूची-34-54/2020 - 3417

/पटना, दिनांक-17/4/2022

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

23